

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

कार्मिक विभाग के 35 प्रतिशत एलडीसीई कोटे के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, (पे मैट्रिक्स 35400-112400), ग्रेड पे 4200 लेवल 6 के कुल 03 रिक्त पदों को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)/I/2008/PM/15, दिनांक 03.09.2009 तथा दिनांक 07.06.2010 के अनुसार चयन के माध्यम से भरे जाने हेतु सभी विभागों के पात्र ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारियों (आरपीएफ एवं लेखा विभाग को छोड़कर) से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका प्रारूप संलग्न है।

01 – रिक्तियों की संख्या :- 35 प्रतिशत एलडीसीई कोटे के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, (पे मैट्रिक्स 35400-112400), ग्रेड पे 4200 लेवल 6 के रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

<u>सामान्य</u>	<u>अ.जा.</u>	<u>अ.ज.जा.</u>	<u>योग</u>
02	01	00	03

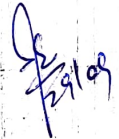
02 – पात्रता की शर्तें :-

(i) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता रखने वाले वर्ग ग कर्मचारी चाहे उनका ग्रेड या सेवा अवधि या अन्य शैक्षणिक योग्यताये कुछ भी हो।

- श्रम कल्याण/समाज कल्याण में डिप्लोमा (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
- श्रम कानूनों में डिप्लोमा (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
- श्रम कानून पेपर/पेपरों सहित विधि स्नातक (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
- कार्मिक प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से)
- कार्मिक प्रबन्धन के पेपरों सहित MBA DEGREE (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से) {RBE 11/2020 , दिनांक 27.01.2020}

(ii) बशर्ते कि लेवल – 6 एवं उससे ऊपर के लेवल में कार्यरत नियमित कर्मचारी उपर्युक्त चयन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। इससे अलावा उपर्युक्त योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की पात्रता भी इस शर्त के अधीन होगी कि उन्होंने सम्बन्धित ग्रेड/लेवल में परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण की हो।

03 – समूह घ, लेवल – 1 के वे कर्मचारी जिन्होंने समूह घ में कम से कम 7 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो एवं वे उपर्युक्त (2-i) में उल्लेखित कोई योग्यता रखते हो।



04 - कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, लेवल - 6 से निचले लेवल अर्थात् लेवल - 5 एवं लेवल - 4 में कार्यरत 5 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी जिनकी पदोन्नति की सामान्य सीमा में उच्चतर लेवल नहीं आता है अन्यथा इन दोनों लेवल को मिलाकर 05 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी।

05 - लेवल - 5 एवं लेवल - 4 वाले वे कर्मचारी जो स्नातक हैं, भले ही इन ग्रेडों में उनका सेवाकाल जितना भी हो बशर्ते कि सम्बन्धित कर्मचारी ने अपने सम्बन्धित लेवल में परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो।

06 - वे कर्मचारी जो कल्याण एवं कर्मचारी निरीक्षक लेवल से निचले अर्थात् अन्य पे मेट्रिक्स लेवल - 3 एवं लेवल - 2 में कार्यरत हो तथा स्नातक हो एवं जिन्होंने अपने सम्बन्धित लेवल (ग्रेड) में 7 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि उच्चतर लेवल उनकी पदोन्नति की सीमा में नहीं आता है अन्यथा इन दोनों ग्रेडों को मिलाकर 07 वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारी।

07 - चयन के लिए कोई पूरक/अनुपस्थित परीक्षा नहीं होगी।

08 - चयनित कर्मचारी की मण्डल के किसी भी स्टेशन पर पदस्थापना की जा सकती है। कृपया आवेदन के पूर्व नोट कर ले तथा इसकी घोषणा आवेदन में भी करे।

09 - जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण/स्वीकृत अवकाश या अन्य युनिट आदि में स्थानान्तरण पर हैं लेकिन उनका लियन सम्बन्धित मण्डल कारखाने में है, उन्हें सन्देश वाहक के परिये अधिसूचना नोट कराई जाये।

10 - रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-2008/PM7/4 SLP दिनांक 19.09.2006 के अनुसार चयन का आधार मेरिट के अनुसार होगा।

11 - चयन रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या :- 196/2018, दिनांक 14.12.2018 के अनुसार दर्शाई गई प्रक्रिया से होगा एवं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे तथा रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या :- आरबीई 194/2019, दिनांक 14.11.2019 के अनुसार नकारात्मक मूल्यांकन होगा।

12 - निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में दिनांक **18.10.2021** तक सम्बन्धित पर्यवेक्षक/इंचार्ज/अधिकारी के माध्यम से कार्मिक कार्यालय में सम्बन्धित अनुभाग में प्राप्त होना चाहिए। सम्बन्धित अनुभाग के अनुभाग प्रभारी/मुख्य कार्यालय अधीक्षक/पर्यवेक्षक कर्मचारी के आवेदन में दर्ज सेवा विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता सेवा पुस्तिका से सत्यापित कर हस्ताक्षरित कर आवेदन मरेप्र (का0) कार्यालय के कार्मिक प्रबन्ध कैंडर अनुभाग में दिनांक **20.10.2021** तक उपलब्ध कराये।

उक्त चयन हेतु लिखित परीक्षा अक्टूबर-2021 के आखिरी सप्ताह में मण्डल कार्यालय में आयोजित की जा सकती है।

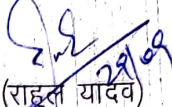
अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये एवं सम्बन्धितों को नोट कराया जाये, सभी उद्देश्यों के लिए पात्रता का निर्णय आदि का निर्धारण अधिसूचना की तिथि से माना जाएगा।

9/12/21

13 - उपरोक्त अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

इस पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न - आवेदन प्रारूप एवं पाठ्यक्रम (अनुलग्नक। व।।)


(राहुत यादव)

मण्डल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ

संख्या :- ई/॥/254/का०निरी०/का०/लिपिक/2009, दिनांक :- 29.09.2021

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मंरेप्र, अमंरेप्र/लजं० को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. मुचिधि, अमुचिधि/लजं० एवं ऐशबाग
3. वमंविप्र, वमंवाप्र, वमंई/समन्वय, वमंविइ/सामान्य व टीआरडी, वमंसिदूइ, वमंयाइ/ओ एण्ड एफ व समाडि, वमंसाप्र, वमंपरिप्र/लजं०
4. वमंयाइ/डीजल शेड/गोण्डा, एरिया मैनेजर/गोरखपुर
5. मंकाधि, विधि अधिकारी/लजं० व सकाधि/लजं०, गोण्डा, गोरखपुर, समई/लख.मण्डल
6. मुख्य कार्याधी/कैंडर, बिल, प्रगति, डाक, संघ चुकौता एवं पास, मुविस/लजं०, मुख्य कार्याधी/डीजल लॉबी/गोरखपुर
7. कण्ट्रोल/का०प्र०, नोटिस बोर्ड
8. मंडल मंत्री नरमू/एससी-एसटी/ओबीसी एसो./ लखनऊ

कृते मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
लखनऊ।

**पूर्वोत्तर रेलवे
आवेदन का प्रारूप**

विषय :- कार्मिक विभाग में 35 प्रतिशत सीमित विभागीय कोटे (एलडीसीई) के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, ग्रेड पे 4200/- लेवल 6 के चयन हेतु विकल्प।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा
सत्यापित फोटो

सन्दर्भ :- मंरेप्र (कार्मिक)/लजं0 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :- ई/11/254/का0निरी0/
का0/2009, दिनांक :- 29.09.2021

निवेदन है कि सन्दर्भित अधिसूचना के अनुपालन में प्रार्थी/प्रार्थिनी अपना विकल्प प्रस्तुत कर रहा/रही है। प्रार्थी/प्रार्थिनी का सेवा विवरण निम्नवत् है :-

01. नाम :-
02. पिता/पति का नाम :-
03. जन्मतिथि :-
04. नियुक्ति तिथि :-
05. प्रारम्भिक नियुक्ति पद, वेतनमान :-
06. वर्तमान पदनाम, पे बैंड ग्रेड पे लेवल :-
07. वर्तमान पद पर नियमित पदोन्नति :-
08. वर्तमान पद पर सेवा अवधि :-
09. वेतनदर एवं पीएफ नं० :-
10. कार्यरत अधीन/कार्यस्थल :-
11. शैक्षिक योग्यता एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता (सत्यापित प्रति) :-
12. जाति {सत्यापित प्रमाण पत्र सहित} (अजा/अजजा) :-

13. दिनांक 28.09.2021 को कुल नियमित रेल सेवा अवधि :-

ग्रेड पे 1800 में	ग्रेड पे 1900 में	ग्रेड पे 2000 में	ग्रेड पे 2400 में	ग्रेड पे 2800 में

प्रार्थी/प्रार्थिनी यह घोषणा करता/करती है कि उपरोक्त दिये गये विवरण सही है एवं अधिसूचना में अंकित निर्देशों को भली-भांति पढ़ लिया है, यदि प्रार्थी/प्रार्थिनी के विकल्प में कोई त्रुटि हो तो इसे निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक :-
अग्रसारित
अधिकारी/पर्यवेक्षक

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर
पद :-
दिनांक :-

(Signature)

अनुलग्नक II

कार्मिक विभाग में 35 प्रतिशत सीमित विभागीय कोटे (एलडीसीई) के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निरीक्षक, ग्रेड पे 4200/- लेवल 6 के चयन हेतु पाठ्यक्रम :-

(अधिसूचना क्रमांक :- ई/II/254/का0निरी0/का0/लिपिक/2009, दिनांक :- 29.09.2021)

1. कर्मचारी कल्याण निधि, इसका संगठन, उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली
2. स्टेशन एवं क्षेत्रीय कौंसिल का गठन, उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली
3. ग्रान्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउन्स एवं री-इम्बर्समेन्ट आफ ट्यूशन फीस
4. इन्स्टीच्यूट का प्रबन्धक एवं कार्य प्रणाली
5. कर्मचारी आवासों के आवंटन सम्बन्धी नीति एवं किराये की वेतन बिल से इसकी वसूली
6. सहकारी समिति, कार्य प्रणाली एवं सीसीएस ऋण की वसूली
7. विभिन्न प्रकार के अग्रिम की वापसी अदायगी
8. बाढ़, अग्निकाण्ड इत्यादि जैसे विशेष घटनाओं से क्षति सम्बन्धी रिपोर्ट एवं उपचार कार्यवाही
9. भविष्य निधि अधिनियम 1925, भविष्य निधि नियम एवं कर्मचारियों के न्यू पेंशन स्कीम
10. खेल कूद, स्काउटिंग, कला सोसायटी व बाल कैम्प
11. पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट
12. फैक्ट्री अधिनियम तथा इसके अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम
13. वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट, केजुयल/सब्टीट्यूट लेबर
14. इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट
15. स्थायी वर्ता तंत्र ट्रेड यूनियन अधिनियम
16. एचओईआर, ओवर टाइम
17. रेल सेवा आचरण नियम, 1966
18. अनुशासन एवं अपील नियम, 1968
19. चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार, कर्मचारियों का संविलयन इत्यादि
20. कल्याण कार्य कार्यक्रम एवं परामर्शदाता समिति
21. सुझाव एवं अविष्कार समिति
22. सामाजिक एवं औद्योगिक मनोविज्ञान
23. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान
24. भारतीय रेलों का इतिहास एवं पूर्वोत्तर रेलवे का संगठन
25. नोटिंग/ड्राफ्टिंग
26. सामान्य ज्ञान
27. सेवाओं का वर्गीकरण, पदों का सृजन और रिक्ति बैंक
28. भर्ती नियम, राजभाषा नियम और प्रोत्साहन योजनाएँ
29. एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण
30. पदोन्नति/चयन/स्विटिबिलिटी टेस्ट
31. वरीयता नियम, स्थानान्तरण नियम
32. अंतिम निपटारा/अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी नियमों का ज्ञान
33. कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, छुट्टी नियम, पास नियम
34. विभिन्न भत्ते व अग्रिम
35. पी.एफ एवं उससे निकासी, एसीपी योजना/एमएसीपी योजना, कम्प्यूटर का ज्ञान
36. रेल आवासों से सम्बन्धित नियम
37. प्राईम/एच आर एम एस के माध्यम से अन्तिम निपटारा सम्बन्धित ज्ञान
38. लार्सजेस
39. आर. टी. आई.
40. पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त सुविधाएं

१५